संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

28 दिसंबर, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पेंशन अदालत

संसदीय कार्य मंत्रालय 28 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से उप सचिव (लेखा और क्रय), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है। इस मंत्रालय के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों, यदि कोई हों, के समाधान के लिए पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ने के लिए लिंक सहित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नीचे किया गया है।

पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें अग्रिम रूप में श्री धीरेन्द्र चौबे, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के नाम स्पीड पोस्ट से या ई-मेल आई.डी. rahul.agrawal@gov.in या dhirendra.choubey@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया टेलीफोन नंबर 011-23034899/4755 पर या ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडीज पर संपर्क करें।

पेंशनर्स को अपना नाम, पदनाम (जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे), पीपीओ नंबर, बैंक का विवरण, सेवानिवृत्ति की तारीख और टेलीफोन नंबर सहित अपना पता अवश्य सूचित करना चाहिए। पीपीओ और पीपीओ शुद्धिपत्र (यदि उपलब्ध हो)/अपडेटिड बैंक पास बुक के अंतिम दो पृष्ठों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लें:

https://webvc.nic.in/flex.html?roomdirect.html&key=iXnecO1nEO

या

लिंक को कॉपी करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूआरएल फील्ड में पेस्ट करें (अनुसंशित)

मीटिंग (रूम पिन: 2611)

मीटिंग आईडी: 1134671

मोबाइल उपकरणों से जुड़ने के लिए, प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से मोबाइल ऐप (VidyoMobile) इन्सटाल करें और ऊपरोक्त लिंक पर क्लिक करें।कोई समस्या आने पर कृपया फोन नं. 011-24305767 पर संपर्क करें या webvc@lsmgr.nic.in पर

ई-मेल भेजें।